रजिस्ट्रीसं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092026-276233
CG-DL-E-16092026-276233

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 720] नई दिल्ली, मंगलवार, सितंबर 8, 2026/ भाद्र 17, 1948
No. 720] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2026/ BHADRA 17, 1948

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितंबर, 2026

सा.का.नि. 788**(अ).—** केंद्रीय सरकार वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 29) की धारा 25 की उप-धारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पराली जलाने के लिए पर्यावरणीय प्रतिकर लगाने, संग्रहण और उपयोग से संबंधित नियम बनाए जाने तथा **दिनांक 28-04-2023 को सा.का.नि. 322 (अ)** के माध्यम से प्रकाशित वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (राष्ट्रीय राजधानी और निकटवर्ती के क्षेत्रों में पराली जलाने के लिए पर्यावरणीय प्रतिकर का **अधिरोपण**, संग्रह और उपयोग) नियम, 2023 तथा **दिनांक 06-11-2024 को सा.का.नि. 690 (अ)** के माध्यम से प्रकाशित उसके संशोधन की अधिक्रमण करते हुए निम्नलिखित मसौदा अधिसूचना जारी करती है तथा उक्त मसौदा अधिसूचना को इससे संभावित होने की वाली आम जनता एवं अन्य हितधारकों की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित करती है। इसके अलावायह भी सूचित किया जाता है कि उक्त अधिसूचना को भारत के राजपत्र में प्रारूप अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के पश्चात केंद्र सरकार द्वारा इस पर विचार किया जाएगा।

प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई व्यक्ति किसी प्रकार की आपत्ति अथवा सुझाव देना चाहता है, तो वह निर्धारित अवधि के भीतर लिखित रूप में डाक द्वारा **संयुक्त सचिव, सीपी प्रभाग, छठा तल, पृथ्वी विंग,इंदिरा**

पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,नई दिल्ली-110003 को भेज सकता है अथवा निम्नलिखित ई-मेल के पते पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज सकता है:

v.pazhaniyandi@nic.in **अथवा** prasoon.tripathi76@gov.in

प्रारूप अधिसूचना

केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजधानी और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 29) की धारा 25 की उप-धारा (2) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता

प्रबंधन आयोग (पराली जलाने पर पर्यावरणीय प्रतिकर का अधिरोपण, संग्रह और उपयोग) नियम, 2023 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए जाने वाले अथवा न किए जाने वाले कार्यों के संबंध में अपवाद को छोड़कर, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के परामर्श से, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम, और और प्रारंभ होना .—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजधानी और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पराली जलाने पर पर्यावरणीय प्रतिकर का अधिरोपण, संग्रह और उपयोग) नियम, 2026 कहा जा सकता है।

(2) ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पंजाब राज्य, हरियाणा राज्य तथा राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लागू होंगे।

(3) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएँ.**—(1) इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो के सिवाय,—

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय राजधानी और निकटवर्ती के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 29) अभिप्रेत है;

(ख) "आयोग" से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय राजधानी और निकटवर्ती के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अभिप्रेत है;

(ग) "कृषक" से खेती या कृषि उपज भूमि का स्वामीया अधिभोगी या काश्तकार अभिप्रेत है;

(घ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों को जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

3. **पराली जलाने के लिए पर्यावरणीय प्रतिकर का अधिरोपण.—** आयोग, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, पराली जलाने के लिए निम्नलिखित दरों पर पर्यावरणीय प्रतिकर अधिरोपित कर सकता है:—

(क) दो एकड़ से कम भूमि वाले कृषक प्रत्येक घटना के लिए पाँच हजार रुपये के पर्यावरणीय प्रतिकर के संदाय का भुगतान करेंगे;

(ख) दो एकड़ या उससे अधिक किंतु पाँच एकड़ से कम भूमि वाले कृषक प्रत्येक घटना के लिए दस हजार रुपये के पर्यावरणीय प्रतिकर के संदाय का भुगतान करेंगे;

(ग) पाँच एकड़ से अधिक भूमि वाले कृषक प्रत्येक घटना के लिए तीस हजार रुपये के पर्यावरणीय प्रतिकर के संदाय का भुगतान करेंगे।

4. **पराली जलाने के लिए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का संग्रहण.—**(1) पर्यावरणीय प्रतिकर इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में निर्दिष्ट चालान के रूप में कृषक से संग्रहीत किया जाएगा।

(2) कृषक इन नियमों के अधीन चालान जारी होने की तारीख से तीस दिन से अनधिक अवधि के भीतर चालान के अनुसार राशि को करेगा;

(3) यदि किसान उप-नियम (2) में निर्दिष्ट अवधि के भीतर चालान की राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, आयोग, कृषक से देय राशि को विनिर्दिष्ट करते हुए एक प्रमाण-पत्र तैयार करेगा और उस प्रमाण-पत्र को चालान प्रपत्र के साथ संबंधित राज्य सरकार या, यथास्थिति, संघ राज्य क्षेत्र द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी को भेजेगा;

(4) उप-नियम (3) में निर्दिष्ट अधिकारी, प्रमाण-पत्र और चालान प्रपत्र प्राप्त होने पर, उसमें विनिर्दिष्ट राशि को कृषक से ऐसे वसूल करेगा जैसे कि यह भूमि राजस्व का बकाया हो;

(5) संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र में प्रचलित भूमि राजस्व अभिलेख का रखरखाव करने वाला संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र का अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि जिस भूमि पर पराली जलाने की ऐसी घटना की सूचना प्राप्त हुई है या इस बात का प्रमाण है कि भूमि में पराली जलाने की घटना घटित हुई है, उस भूमि के विरुद्ध उक्त अभिलेख में लाल प्रविष्टि चिन्हित की जाए।

(6) उप-नियम (5) में निर्दिष्ट लाल प्रविष्टि उक्त घटना की तारीख से पंद्रह महीने की अवधि तक वैध रहेगी और उक्त अवधि की समाप्ति पर, यदि उस अवधि के दौरान उक्त भूमि पर पराली जलाने की कोई बाद की घटना घटित होना नहीं पाया गया है या अन्यथा प्रमाणित नहीं हुआ है तथा इन नियमों के अधीन अधिरोपित पर्यावरणीय प्रतिकर, यदि कोई हो, जमा कर दी गई है, तो उसे हटाया हुआ माना जाएगा:

बशर्ते कि, यदि उक्त भूमि पर पराली जलाने की कोई घटना बाद में पाई जाती है अथवा यह अन्यथा प्रमाणित हो जाता है कि ऐसी घटना घटित हुई है या इन नियमों के तहत अधिरोपित कोई पर्यावरणीय प्रतिकर, उक्त अवधि के भीतर जमा नहीं किया गया है, तो लाल प्रविष्टि पंद्रह माह की अगामी अवधि के लिए वैध रहेगी;

(7) इस नियम के तहत संग्रह की गई पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि को संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के खाते में जमा किया जाएगा।

5. **पराली जलाने के लिए पर्यावरणीय मुआवजे का उपयोग-**(1) स्व-स्थाने फसल अवशिष्ट प्रबंधन उपकरण और मशीनरी जैसी अवशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना:

(2) फसल विविधीकरण कार्यक्रमों को बढ़ावा देना;

(3) बायोमास उपयोग और भंडारण अवसंरचना के विकास और संचालन में सहायता करना;

(4) फसल अवशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के लिए वित्तपोषण;

(5) संधारणीय खेती के लिए पर्यावरण-अनुकूल संधारणीय कार्यपद्धतियों पर किसानों को शिक्षित और प्रशिक्षित करना; और

(6) ऐसे अन्य उपाय जो आयोग द्वारा, या दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में राज्य सरकारों द्वारा, अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में, पराली जलाने के निवारण और नियंत्रण के लिए आवश्यक समझे जाएं।

[फा. सं. एच-11013/03/2022-सीपीडब्ल्यू]

उदय चौधरी, संयुक्त सचिव

प्रपत्र

(नियम 3 और नियम 4 देखें)

चालान सं.

दिनांक : ……../……../……

चालान

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम, 2021 (2021 का 29) और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (पराली जलाने पर पर्यावरणीय प्रतिघर का अधिरोपण, संग्रह और उपयोग) नियम, 2026 की धारा 15 के अनुपालन में, निम्नोल्लिखित किसान को पराली जलाते हुए पाया गया/रिपोर्ट किया गया है या इस बात का प्रमाण है कि उसकी भूमि में पराली जलाई गई है, और परिणामतः अधिनियम और ऊर्ध्वोल्लिखित नियमों के अनुसार पर्यावरणीय प्रतिकर अधिरोपित किया गया है, और उसे निम्नलिखित विवरण के अनुसार ऐसा पर्यावरण प्रतिकर जमा करने का निदेश दिया जाता है, अर्थात्:-

1. किसान का नाम:

2. मकान संख्या:

3. गली:

4. ग्राम:

5. डाकघर :

6. तहसील:

7. जिला:

8. राज्य:

9. संपर्क नं.:

10. भूमि का विवरण जिसमें भूमि की खसरा, खेवट और खतोनी संख्या शामिल है:

11. पराली जलाने के लिए भूमि देने वाले किसान की भूमि का क्षेत्रफल (उचित बॉक्स पर टिक करें)

i	2 एकड़ से कम		ii	2 से 5 एकड़ के बीच		iii	5 एकड़ से अधिक	

ऊपर नामित किसान चालान की तारीख से तीस दिनों के भीतर, यथा स्थिति ----------रुपये (शब्दों में -------रुपये मात्र) का पर्यावरणीय प्रतिकर नकद या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति के खाते में जमा कर सकता है।

हस्ताक्षर:

नाम:

पदनाम:

पता:

अधिकारी की मुहर:

संपर्क नं.:

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2026

G.S.R. 788(E).—The following draft notification which the Central Government proposes to issue, in exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of section 25 of the Commission for Air Quality Managmeent in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 (29 of 2021), for bringing out rules relating to imposition, collection and utilisation of Environmental Compensation for Stubble Burning and also **in supersession of** the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (Imposition, Collection and utilisation of Environmental Compensation for Stubble Burning) Rules, 2023 published vide **G.S.R. 322 (E) dt. 28-04-2023** and its amendment published vide **G.S.R 690 (E) dt. 6-11-2024**, is hereby published for information of the public and other stakeholders likely to be affected. Further, notice is hereby given that the said notification will be taken into consideration by the Central Government on or after the expiry of sixty days from the date on which the draft notification is published in the Gazette of India;

Any person interested in making any objection or suggestion on the proposals contained in the draft notification may do so in writing within the period so specified through post to the **Joint Secretary, CP Division,6th Floor, Prithvi Wing, Indira ParyavaranBhawan,JorBagh Road, Min. of Environment, Forest & Climate Change, New Delhi-110003** or electronically at email address:

v.pazhaniyandi@nic.inOR prasoon.tripathi76@gov.in.

DRAFT NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (2) of section 25 of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 (29 of 2021) and in supersession of the Commission for Air Quality Managmeent in National Capital Region and Adjoining Areas (Imposition, Collection and utilisation of Environmental Compensation for Stubble Burning) Rules, 2023, except as respects things to be done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, in consultation with the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas, hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (Imposition, Collection and Utilization of Environmental Compensation for Stubble Burning) Rules, 2026.

(2) They shall apply to the National Capital territory of Delhi, State of Punjab, State of Haryana and National Capital Region of Rajasthan and Uttar Pradesh.

(3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-(1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 (29 of 2021);

(b) "Commission" means the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and adjoining areas constituted under section 3;

(c) "Farmer" means the owner or occupier or cultivator of the farming or agricultural land;

(d) "Section" means a section of the Act.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings as assigned to them in the Act.

3. Imposition of environmental compensation for stubble burning.—The Commission may impose environmental compensation as per the provisions of the Act for stubble burning, at the following rates:-

(a) the Farmer having an area of land of less than two acres shall pay an environmental compensation of five thousand rupees, per incidence;

(b) the Farmer having an area of land of two acres or more but less than five acres shall pay an environmental compensation of ten thousand rupees, per incidence;

(c) the Farmer having an area of land of more than five acres shall pay an environmental compensation of thirty thousand rupees, per incidence.".

4. Collection of Environmental Compensation for stubble burning.—(1) The environmental compensation shall be collected from the Farmer in the form of challan as specified in Form annexed to these rules;

(2) The Farmer shall pay the amount in pursuance of challan under these rules within a period not exceeding thirty days from the date of issuance of form of challan;

(3) If the Farmer fails to pay the challan amount within the period specified under sub-rule (2), the Commission shall prepare a certificate specifying the amount due from the Farmer and forward the certificate along with the form of challan to the officer authorised by the respective State Government or, Union territory, as the case may be, in this regard;

(4) The officer referred to in sub-rule (3) shall, on receipt of the certificate and the form of challan, shall proceed to recover the amount specified thereunder from the Farmer as if it were an arrear of the land revenue;

(5) The officer of the respective State Government or, Union Territory who maintains the land revenue record as prevalent in the respective State Government or, Union Territory shall ensure that such record is marked with red entry against the land on which such incident of stubble burning is found or otherwise established to have occurred in the land.

(6) The red entry referred to in sub-rule (5), shall remain valid for a period of fifteen months from the date of said incident and shall, upon expiry of the said period, be deemed to have been removed, if no subsequent incident of stubble burning is found or otherwise established to have occurred on the said land during the said period and environmental compensation, if any, imposed under these rules has been deposited:

Provided that where any subsequent incident of stubble burning is found or otherwise established to have occurred on the said land or environmental compensation, if any, imposed under these rules has not been deposited within the said period, the red entry shall remain valid for a further period of fifteen months;

(7) The environmental compensation collected under this rule shall be deposited in the account of respective State Pollution Control Board or Pollution Control Committee.

5. Utilisation of Environmental Compensation for stubble burning.—(1) subsidizing residue management technologies such as in-situ crop residue management equipment and machinery:

(2) incentivizing crop diversification programmes;

(3) supporting development and operation of biomass utilization and storage infrastructure;

(4) funding research and development in the area of crop residue management;

(5) educating and training farmers on eco-friendly sustainable practices for sustainable farming; and

(6) such other measures as may be deemed necessary by the Commission, or by the State Governments, in Delhi-

National Capital Region and adjoining areas, in their respective jurisdictions, for the prevention and control of stubble burning.

[F. No. H-11013/03/2022-CPW]

UDAY CHAUDHARI, Jt. Secy.

FORM
(See rule 3 and rule 4)

Challan No.

Dated: …./…./…...

CHALLAN

In pursuance of the section 15 of the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas Act, 2021 (29 of 2021) and the Commission for Air Quality Management in National Capital Region and Adjoining Areas (Imposition, Collection and Utilization of Environmental Compensation for Stubble Burning) Rules, 2026, the Farmer described below was found/ has been reported to burn stubble or there is an evidence to the effect that Stubble Burning has happened in his land, and consequently Environmental Compensation has been imposed as per the Act and the rules mentioned above, and is directed to deposit such Environmental Compensation as per the following details, namely:-

1. Name of the Farmer:

2. House No.:

3. Street:

4. Village:

5. Post Office :

6. Tehsil:

7. District:

8. State:

9. Contact No.:

10. Details of land including Khasra, Khewat and Khatoni number of the land:

11. The area of land of the farmer who has resorted to stubble burning: (tick the appropriate box

i	Less than 2 acres		ii	Between 2 to 5 acres		iii	More than 5 acres	

The Farmer named above may deposit the Environmental Compensation of Rupees_____ (in words_____ only), through Cash or Demand Draft or through electronic mode in the account of respective State Pollution Control Board or the Pollution Control Committee, as the case may be within thirty days from the date of Challan.

Signature:

Name:

Designation:

Address:

Seal of the Officer:

Contact No:

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.09.16 14:18:21 +05'30'